रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/96 REGD. NO. D.L.-33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3 (ii)
PART II—Section 3(ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 488] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 29, 1996/भाद्र 7, 1918
No. 488] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 29, 1996/BHADRA 7, 1918

विदेश मंत्रालय

(प्रोतोकोल II अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 1996

का. आ. 595(अ).—यत: भारत सरकार तथा भारत में अन्तर्राष्ट्रीय रेडक्रास समिति के बीच पत्रों के आदान-प्रदान के अनुसरण में उक्त अन्तर्राष्ट्रीय समिति के क्षेत्रीय कार्यालय को 16 जून, 1996 से और 1 वर्ष की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां) अधिनियम 1947 (1947 का 46) की अनुसूची के खंड 7 (ख), 8 और 18 में निहित विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों के समान भारत में विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां देना आवश्यक है।

अतएव उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह घोषणा करती है कि दिनांक 16 जून, 1986 की उसकी अधिसूचना संख्या डी-11/451/16(2)/85 द्वारा भारत में अन्तर्राष्ट्रीय रेडक्रास समिति के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रदत्त विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां आवश्यक परिवर्तनों सहित भारत में अन्तर्राष्ट्रीय रेडक्रास समिति के क्षेत्रीय कार्यालय तथा उसके अधिकारियों पर 16 जून, 1996 से 1 और वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगी।

यह अधिसूचना 16 जून, 1996, से एक वर्ष के लिए लागू रहेगी।

[डी-11/451/16(2)/85]
एन. एन. देसाई, प्रोतोकोल प्रमुख

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(Protocol II Section)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th July, 1996

S.O. 595(E).—Whereas in pursuance of the exchange of letters between the Government of India and the International Committee of Red Cross in India, it is necessary to accord the Regional Office of the said International Committee for a further period of one year from 16th June, 1996 privileges and immunities in India similar to those contained in Section 7(b), 8 and 18 of the schedule to the United Nations (Privileges and Immunities) Act 1947 (46 of 1947).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the said Act, the Central Government hereby declare that the privileges and immunities extended to the Regional Office of the International Committee of the Red Cross in India vide its Notification No. DII/451/16(2)/85 dated the 16th June, 1986 shall apply, mutatis mutandis, to the Regional Office of the International Committee of the Red Cross in India and to its officers for a further period of one year from 16th June, 1996.

This notification shall remain in force for a period of one year from 16-6-1996.

[DII/451/16(2)/85]
N. N. DESAI, Chief of Protocol

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1996